


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2039/2014.....जिला.....उदयपुर.....

उनवान- तिरु गति डिजल्स सेल्स एण्ड सर्विस, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुकम की तार्म में जारी हुए
16.04.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी – सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक अनुपस्थित विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी प्रोपराइटर द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी प्रोपराइटर ने निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का व्यवसायी लाभ लेना चाहते है, एवं विवादित राशि जमा करवा दी है इस हेतु अपीलार्थी प्रोपराइटर प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते है।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी प्रोपराइटर के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 2039/2014/उदयपुर को विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्झा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </p>	